

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥

:: दिनांक 02.12.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 02.12.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, सदस्य
अति. महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री विक्रम सिंह, सदस्य सचिव
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
5. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।

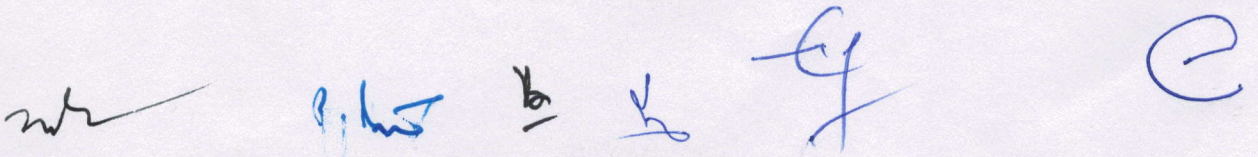
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में 01 बंदी के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
समीर अली पुत्र जाकिर अली	के.का.अलवर	1528/2025	24.11.2025	01.12.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी समीर अली पुत्र जाकिर अली, केन्द्रीय कारागृह, अलवर:-

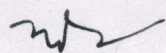
बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 09 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 06/2019 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी., में दिनांक 28.04.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।



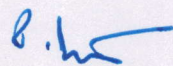
बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1528/2025 समीर बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 24.11.2025 से प्रतिपादित किया है कि "Considering the arguments put forward by counsel for the petitioner, the present criminal writ petition stands disposed of with expectations from the authorities concerned to make all possible endeavours to decide the application (pending if any) expeditiously within a period of four months from the date of receipt of the certified copy of this order by passing a reasoned and speaking order." के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में 06 वर्ष 09 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

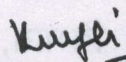
अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी समीर अली पुत्र जाकिर अली को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।



अध्यक्ष
महानिदेशक
एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



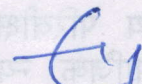
सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर



सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर



सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर



सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर



सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान,
जयपुर

(अशोक
राठौड़)

अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक	अति. महानिदेशक	महानिरीक्षक	शासन उप सचिव	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	उप विधि परामर्शी
कारागार	कारागार	कारागार	गृह (ग्रुप-12)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	महानिदेशालय
राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान	विभाग	विभाग	कारागार
जयपुर	जयपुर	जयपुर	राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान
			जयपुर	जयपुर	जयपुर